



गुरुगुरुतमो धाम  
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
National Council for Teacher Education



गुरुगुरुतमो धाम  
NCTE

27वीं वार्षिक रिपोर्ट  
27<sup>th</sup> ANNUAL REPORT  
2021-2022

HINDI EDITION

# वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022

## 27वां संस्करण



गुरुगुरुतमो धाम  
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

( भारत सरकार का एक विधिक संस्थान )

जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075



क्र. सं.	अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
1.	एनसीटीई : एक नजर में	01-02
2.	प्रमुख पहल और उपलब्धियां (प्रभाग-वार विवरण) i. शैक्षणिक प्रभाग ii. अपील प्रभाग iii. निरीक्षण प्रभाग iv. आईटी और ई-गवर्नेंस प्रभाग v. सतर्कता प्रभाग vi. विनियमन प्रभाग vii. समन्वय प्रभाग viii. राजभाषा प्रभाग ix. आरटीआई प्रभाग x. प्रशासन प्रभाग xi. आगे का मार्ग	03-26
3.	अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों/संस्थानों का क्षेत्र और राज्य-वार विवरण (क) पूर्वी क्षेत्रीय समिति (ख) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति (ग) उत्तरी क्षेत्रीय समिति (घ) दक्षिणी क्षेत्रीय समिति	27-67

## प्रयुक्त संकेताक्षर

1.	बी.एड.	शिक्षा स्नातक
2.	बी.एल.एड.	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक
3.	बी.पी.एड.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक
4.	डीपीएसई	स्कूल-पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा
5.	डी.पी.एड.	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा
6.	डी.एल.एड.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा
7.	ईआरसी	पूर्वी क्षेत्रीय समिति
8.	जीबी	सामान्य निकाय
9.	एम.एड	शिक्षा स्नातकोत्तर
10.	एम.पी.एड.	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर
11.	एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
12.	एनसीईटी	राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा
13.	एनएमएम	राष्ट्रीय परामर्शी मिशन
14.	एनपीएसटी	अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
15.	एनटीए	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
16.	एनआरसी	उत्तरी क्षेत्रीय समिति
17.	ओडीएल	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण
18.	आरटीई	शिक्षा का अधिकार
19.	आरटीआई	सूचना का अधिकार
20.	एसआरसी	दक्षिण क्षेत्रीय समिति
21.	टीईआई	अध्यापक शिक्षा संस्थान
22.	डब्लूआरसी	पश्चिमी क्षेत्रीय समिति
23.	एचईआई	उच्च शिक्षा संस्थान
24.	आईटीईपी	समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम
25.	जीओआई	भारत सरकार
26.	एमओई	शिक्षा मंत्रालय
27.	आरसी / एस	क्षेत्रीय समिति(यां)

## अध्याय 1

### एनसीटीई: एक नजर में

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में संसद के एक अधिनियम (1993 के अधिनियम संख्या 73) द्वारा देशभर में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का लक्ष्य प्राप्त करने, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। एनसीटीई अधिनियम 1 जुलाई 1995 से लागू हुआ और एनसीटीई 17 अगस्त 1995 को नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय के साथ अस्तित्व में आयी। परिषद् एनसीटीई का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें 43 सदस्य शामिल हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव पूर्णकालिक आधार पर होते हैं, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा सचिव, सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, राज्य सरकारों के शिक्षा सचिव, संसद सदस्य, प्रख्यात शिक्षाविद, एनसीआईआरटी, एनआईईपीए, यूजीसी, सीबीएसई, एआईसीटीई जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुख सम्मिलित हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। रा.अ.शि.प. के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, जो क्षेत्रीय समितियों सहित कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित हैं और इस तरह एनसीटीई अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों और समय-समय पर किए गये परिषद् के नितिगत निर्णयों के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2. एनसीटीई अधिनियम, 1993 की धारा 20 के अनुसार, चार क्षेत्रीय समितियां अर्थात् पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, जो एनसीटीई अधिनियम की धारा 14 / 15 के तहत उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता / अनुमति प्रदान करने से संबंधित मामलों को देखती हैं। क्षेत्रीय समितियां एनसीटीई अधिनियम की धारा 14 / 15 के तहत किसी नया अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने या मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थान में एक अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने या मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रवेश के लिए आवेदक संस्थानों से आवेदन प्राप्त करती हैं। क्षेत्रीय समितियां एनसीटीई अधिनियम की धारा 17 के तहत किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की मान्यता / अनुमति वापस लेने की शक्तियों का भी प्रयोग करती हैं, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि संबंधित संस्थान ने एनसीटीई अधिनियम / नियमों / विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जिसके तहत मान्यता / अनुमति प्रदान की गई थी। एनसीटीई अधिनियम की धारा 14, 15 और 17 के तहत आने वाले कार्यों के अलावा क्षेत्रीय समितियां ऐसे अन्य कार्य भी करती हैं, जो परिषद् द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं या विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

3. क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय वर्तमान में प्लॉट जी-7, द्वारका, सेक्टर 10, नई दिल्ली में स्थित हैं, पूर्वी क्षेत्रीय समिति का कार्यालय जो भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित था, वह 6 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में एक अध्यक्ष, प्रख्यात शिक्षाविद और उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के प्रशासक और शिक्षा सचिव शामिल होते हैं। क्षेत्रीय निदेशक, रा.अ.शि.प. का पूर्णकालिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और साथ ही क्षेत्रीय समिति की बैठकों के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

4. अध्यापक शिक्षा संस्थान या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता / अनुमति प्रदान करने / रद्द करने के कार्य के लिए रा.अ.शि.प. की चार क्षेत्रीय समितियों द्वारा किए जाते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को समाविष्ट करते हैं:

- पूर्वी क्षेत्रीय समिति : अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल।
- पश्चिमी क्षेत्रीय समिति : गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।

- उत्तरी क्षेत्रीय समिति : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।
- दक्षिणी क्षेत्रीय समिति : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी।

रा.अ.शि.प. मुख्यालय का कार्य 11 प्रभागों में विभाजित है, जैसे :

- i. शैक्षणिक प्रभाग
- ii. अपील प्रभाग
- iii. निरीक्षण प्रभाग
- iv. आईटी एवं ई-गवर्नेंस प्रभाग
- v. सतर्कता प्रभाग
- vi. विनियमन प्रभाग
- vii. समन्वय प्रभाग
- viii. राजभाषा प्रभाग
- ix. आरटीआई प्रभाग
- x. लेखा प्रभाग
- xi. प्रशासन प्रभाग

5. शैक्षणिक प्रभाग विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यचर्या संबंधी पहलुओं से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। विनियम प्रभाग स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विनियम, नीतिगत मामले और न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित करता है। निरीक्षण प्रभाग रा.अ.शि.प. अधिनियम की धारा 13 के तहत मान्यता प्राप्त टीईआई का निरीक्षण करता है। अपील प्रभाग अपील समिति के सिचवालय के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए टीईआई, आरसी के निर्णय से असंतुष्ट होकर, रा. अ.शि.प. अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत अपील दायर कर सकते हैं। विधिक प्रभाग रा.अ.शि.प. मुख्यालय के विभिन्न कानूनी मामलों को देखता है और कानूनी मामलों पर आरसी के विधिक अनुभाग के साथ समन्वय करता है। आईटी और ई-गवर्नेंस डिवीजन मोबाइल अनुप्रयोग के साथ रा.अ.शि.प. वेबसाइट और आईटी मॉड्यूल का प्रबंधन करता है। समन्वय प्रभाग अन्य संगठनों/शिक्षा मंत्रालय आदि को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रभागों से विवरण/रिपोर्ट/संचार के मिलान के लिए नोडल डिवीजन के रूप में कार्य करता है। आरटीआई डिवीजन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित है। राजभाषा प्रभाग विभिन्न कार्यों को करता है तथा हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना और राजभाषा अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन को सम्पादित करता है। सतर्कता प्रभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप संगठन में निवारक और दंडात्मक सतर्कता वाले मामलों को देखता है। प्रशासनिक प्रभाग सामान्य प्रशासन से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। लेखा प्रभाग रा.अ.शि.प. के दिन-प्रतिदिन के खातों का रखरखाव करता है और वित्तीय और बजटीय पहलुओं को देखता है। वीआईपी प्रभाग प्राथमिकता के आधार पर वीआईपी से प्राप्त पत्राचार/संदर्भों को देखता है।



## अध्याय 2

## प्रमुख पहल और उपलब्धियां ( प्रभाग-वार विवरण )

## (i) शैक्षणिक प्रभाग

- माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 1 अप्रैल, 2021 को "माई एनईपी 2020" वेब पोर्टल का लोकार्पण किया, जिससे अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन पी एस टी) तथा परामर्शदात्री कार्यक्रम की सदस्यता हेतु राष्ट्रीय मिशन के विकास के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु हितधारकों से सुझाव/विचार/सदस्यता आमंत्रित किए गये। "माई एनईपी-2020" प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल 2021 से 15 मई, 2021 तक चालू था। "माई एनईपी 2020" पोर्टल के बारे में रा.अ.शि.प. को उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। एनपीएसटी तथा एनएमएम के लिए विभिन्न हितधारकों से क्रमशः 2500 तथा 1900 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।



- अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020" पर आभासी रूप से एक वेबिनार 25 मई, 2021 को आयोजित की गयी। वेबिनार में कई हितधारकों ने भाग लिया।
- रा.अ.शि.प. की उत्तरी क्षेत्रीय समिति द्वारा 3 जून, 2021 को एनपीएसटी पर एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित की गयी, जिसमें अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
- 29 जुलाई, 2021 को रा.अ.शि.प. के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री के सम्बोधन को ऑनलाइन के माध्यम से सुना, जिसमें नये भारत में शिक्षा के क्षेत्र को रूपान्तरित करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई पहलें शुरू की गईं।



- एनईपी 2020 के एक वर्ष पूरा होने पर यूजीसी और एआईसीटीई के साथ रा.अ.शि.प. द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्यायन और अध्यापक विकास विषय पर 6 अगस्त, 2021 को एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित की गयी थी। वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह थे। लगभग 23000 दर्शकों की संख्या के साथ वेबिनार की भव्य सफलता रही।



- एनईपी 2020 के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर 9 अगस्त, 2021 को “21वीं सदी के अध्यापक के व्यावसायिक मानक” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अध्यापक शिक्षा समुदाय को प्रबुद्ध करने के लिए एक विचार मंथन सत्र आयोजित करना था। वेबिनार में लगभग 5152 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



- सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. की अगुवाई में रा. अ.शि.प. की टीम ने आईटीईपी कार्यक्रम को समझने के लिए 24 अगस्त, 2021 को भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, गांधीनगर, गुजरात का दौरा किया, जो 2011 में इसकी स्थापना के बाद से संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। एनईपी 2020 के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न अंतर्दृष्टि हेतु उपयोगी कार्यक्रम था।



- श्री संतोष सारंगी आईएस, अध्यक्ष रा.अ.शि.प., सुश्री केसांग वाई. शेरपा, आईआरएस, सदस्य सचिव रा.अ.शि.प. ने अन्य अधिकारियों के साथ 25 अगस्त, 2021 को सेंटर फॉर कमांड एंड कंट्रोल, गांधीनगर, गुजरात का दौरा किया। यह केंद्र देश में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का अग्रणी केन्द्र है।



- अध्यक्ष, रा.अ.शि.प. ने परिषद् टीम के साथ 25 अगस्त 2021 को बाल विश्वविद्यालय, गांधीनगर का दौरा किया, जिसमें बच्चे के समुचित विकास हेतु उपयोगी पारम्परिक मूल्यों और प्रणालियों की जानकारी ली गयी।



- सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प की अगुवाई में रा.अ.शि.प की एक टीम ने नवीन 4 वर्षीय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यावहारिक पहलुओं को समझने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर का दौरा किया।



- सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. ने 5 अक्टूबर, 2021 को यूनेस्को रिपोर्ट "भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2021 अध्यापक, शिक्षण, और अध्यापक शिक्षा" के लोकार्पण आयोजन में भाग लिया। इस मंच से उन्होंने कई अन्य प्रख्यात वक्ताओं के साथ "सार्वजनिक और निजी स्कूलों में अध्यापकों के रोजगार की शर्तों में सुधार" पर भी बात की।



- यह रा.अ.शि.प. की टीम है जिसने सदस्य सचिव की अगुवाई में एन.ई.पी 2020 से सम्बन्धित कला शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करने में विभिन्न पहलुओं को समझने के प्रयोजन से 29 अक्टूबर, 2021 को महाराजा साया जी राव विश्वविद्यालय, बड़ोदरा, गुजरात का दौरा किया है।



### • राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम)

एनएमएम, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 15.11 में, परिकल्पित है, जिसमें स्कूल अध्यापकों को परामर्श देने के इच्छुक उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त व्यावसायिकों के एक बड़े समूह के सृजन के बारे में बताया गया है और परामर्शदाता और लाभार्थी की आयु या पद की परवाह किए बिना, ये स्वरूप हमारे राष्ट्र के ये स्वरूप 21वीं सदी के विकास लक्ष्यों को साकार करने में योगदान देंगे। एनएमएम अल्प और दीर्घकालिक परामर्श/व्यावसायिक सहायता के महत्व को रेखांकित करता है। इससे विभिन्न व्यक्तियों के बीच पारस्परिक शिक्षण का लाभ उठाने का अवसर मिलता है, जिससे उनका निरंतर व्यावसायिक विकास होता है। विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्र करने के लिए एक प्रारंभिक दस्तावेज 'एनएमएम पर ब्लूबुक' सार्वजनिक क्षेत्र में है। इसके अलावा एनएमएम को 30 केन्द्रीय विद्यालयों (15 केन्द्रीय विद्यालय, 10 जवाहर नवोदय विद्यालय और 5 सीबीएसई विद्यालयों) में संचालित किया जाएगा।


### एनएमएम पर मुक्त विचार-विमर्श

- व्यापक दृष्टिकोण के लिए, एनएमएम से सम्बन्धित प्रारंभिक प्रारूप पर प्रतिक्रिया/सुझाव एकत्र करने के लिए देश भर में 15 मुक्त विचार-विमर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई।
- पूरे देश में 15 अलग-अलग स्थानों पर भौतिक और मिश्रित दोनों विधियों से चर्चा की गई।
- इस मुक्त विचार-विमर्श कार्यक्रमों में अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, संकाय डीआईईटी और एससीईआरटी सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।




## एन एम एम पर मुक्त विचार-विमर्श कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम की तिथि	विचार-विमर्श की विधि
1.	कौटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी, असम	16.11.2021	भौतिक
2.	एससीईआरटी गंगटोक, सिक्किम	10.12.2021	मिश्रित
3.	एससीईआरटी जम्मू तथा कश्मीर	13.12.2021	मिश्रित
4.	एससीईआरटी पटना, बिहार	15.12.2021	मिश्रित
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय	16.12.2021	भौतिक
6.	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	17.12.2021	मिश्रित
7.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	18.12.2021	मिश्रित
8.	एससीईआरटी पुणे, महाराष्ट्र	28.12.2021	मिश्रित
9.	भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान गांधीनगर, गुजरात	30.12.2021	भौतिक
10.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ.प्र.	12.01.2022	मिश्रित
11.	एससीईआरटी, भोपाल	17.01.2022	मिश्रित
12.	एससीईआरटी, हिमाचल प्रदेश	20.01.2022	मिश्रित
13.	एससीईआरटी, पंजाब	24.01.2022	मिश्रित
14.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	04.03.2022	मिश्रित
15.	स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी	07.03.2022	भौतिक



- अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी)

अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) एनईपी 2020 के पैरा 5.20 के अनुपालन में एक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किया गया है। एनपीएसटी अध्यापक गुणवत्ता को विकसित करने वाली एक सार्वजनिक अभ्युक्ति है। यह अध्यापकों के कार्य को परिभाषित करता है और 21वीं सदी के स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले, प्रभावी शिक्षण के सुनिश्चित व अनुकूल वातावरण निर्मित करता है, जिससे छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार होगा। यह अपनी व्यावसायिक भूमिका के संबंध में देश में शिक्षण व्यवसाय को नियंत्रित करेगा। इसके अलावा, एनपीएसटी का उद्देश्य अध्यापकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सुधार करना है, जिससे वे यह समझ सकें कि उनके कार्य-निष्पादन के संदर्भ में क्या अपेक्षित है और इसे बढ़ाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। देश भर में शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, विभागाध्यक्षों एससीईआरटी, डाइट, प्राचार्यों, अध्यापकों (सार्वजनिक/निजी) गैर-सरकारी संगठनों, अन्य हितधारकों के साथ 15 मुक्त विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गये। एनपीएसटी पर प्रारंभिक प्रारूप पर धरातल स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं से इनकी प्रतिक्रियाएं/विचार संकलित करने हेतु देशभर में शिक्षाविदों 15 मुक्त विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गये।



**NATIONAL PROFESSIONAL  
STANDARDS FOR TEACHERS  
(NPST)**

*FIELD TRIAL VERSION*

## एनपीएसटी पर मुक्त विचार-विमर्श कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम तथा मुक्त विचार-विमर्श की तिथि	कार्यक्रम की तिथि	विचार-विमर्श की विधि
1.	कौटन विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	19.11.2021	भौतिक
2.	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार	09.12.2021	मिश्रित
3.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	14.12.2021	मिश्रित
4.	केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	16.12.2021	भौतिक
5.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू तथा कश्मीर	20.12.2021	भौतिक
6.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), उत्तराखण्ड	21.12.2021	मिश्रित
7.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र	29.12.2021	मिश्रित
8.	भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, गांधीनगर, गुजरात	30.12.2021	भौतिक
9.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।	12.01.2022	भौतिक
10.	पौडिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	19.01.2022	मिश्रित
11.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश	31.01.2022	मिश्रित
12.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलौंग, मेघालय	15.02.2022	मिश्रित
13.	डा. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	03.03.2022	मिश्रित
14.	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर	09.03.2022	मिश्रित
15.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	10.03.2022	मिश्रित


## एनपीएसटी पर मुक्त विचार-विमर्श की झलक



- अध्यक्ष, रा.अ.शि.प. की अगुवाई में रा.अ.शि.प. की एक टीम ने टीआईएसएस द्वारा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे विकास पर चर्चा के लिए 16 नवंबर 2021 को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई का दौरा किया। उन्होंने अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट केन्द्र, टीआईएसएस का भी उद्घाटन किया।



- अध्यक्ष, रा.अ.शि.प. ने 20 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर शिक्षा कॉन्क्लेव 2021 में 4 वर्षीय आईटीईपी, जो एक दोहरी डिग्री स्नातक पाठ्यक्रम है, के बारे में विवेचन किया।



- सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. की अगुवाई में रा.अ.शि.प. की टीम ने एनईपी 2020 पर राष्ट्रीय परामर्श की श्रृंखला, अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और चुनौतियों के भाग के रूप में 22 नवंबर, 2021 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, तेलंगाना का दौरा किया।



- रा.अ.शि.प. द्वारा शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए 4 वर्षीय आईटीईपी पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संरचना को अंतिम रूप देने के लिए जनवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति की नियमित बैठकें चल रही हैं।



- 2 फरवरी, 2022 को एनईपी 2020 पर सीबीएसई कार्यालय में एक संयुक्त विचार-विमर्श किया गया, जिसमें रा.अ.शि.प. ने एनपीएसटी और एनएमएम की कार्यान्वयन कार्य नीतियों को प्रस्तुत किया। बैठक में श्री मनोज आहूजा, आईएएस, अध्यक्ष, रा.अ.शि.प. और अध्यक्ष, सीबीएसई, आयुक्त केवीएस, आयोग जेएनवी और सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. ने अपनी टीम के साथ 6 मार्च, 2022 को ऑरोविले, पुडुचेरी का दौरा किया ताकि एनईपी 2020 द्वारा प्रायोजित अनुभवात्मक शिक्षा के घटक को समझा जा सके।



- डा. हर्षद पटेल, कुलपति, भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, गांधीनगर, गुजरात ने अपने अध्यापकों और छात्रों के साथ अपने इंटरनैशनल कार्यक्रम के तहत 14 मार्च, 2022 को रा.अ.शि.प. कार्यालय का दौरा किया। उन्हें रा.अ.शि.प. के एनईपी सेल द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर प्रस्तुति दी गई। यह उल्लेखनीय था, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई संस्थान रा.अ.शि.प. के दौरे पर आया हो।



(ii) अपील प्रभाग

राअशिप अधिनियम 1993 की धारा 18 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राअशिप अधिनियम की धारा 14,15 और 17 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारित आदेश से जो शिक्षण संस्था/व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वे इस आदेश के जारी होने के बाद, 60 दिनों के भीतर अपील समिति में निर्धारित शुल्क और अपील के ज्ञापन के साथ अपील कर सकते हैं। अपील के ज्ञापन के प्राप्त होने पर अपील समिति दायर की गई अपील मामलों से संबंधित दस्तावेज मंगवाती है और अपील करने वाले संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद इस प्रकार के आदेश पारित करती है जो वैधानिक रूप से उपयुक्त माना जाता है। अपील समिति प्रत्येक अपील को इसकी प्रस्तुति की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करती है।

इस अवधि के दौरान, अपील समिति की 14 बैठकें हुईं, जिनमें कुल 368 अपीलों की सुनवाई हुई तथा इनमें से 282 अपीलें समाप्त की गईं।

क्र. सं.	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक	प्रस्तुत किए गए मामलों की संख्या	निपटाई गई अपीलें	वापस की गई अपीलें	पुष्टि की गई अपीलें	स्वीकार न की गई
1.	13वीं बैठक, 2021	14	09	06	03	00
2.	14वीं बैठक, 2021	16	15	11	01	03
3.	15वीं बैठक, 2021	30	18	10	04	04
4.	16वीं बैठक, 2021	30	03	02	01	00
5.	17वीं बैठक, 2021	30	24	14	09	01
6.	18वीं बैठक, 2021	30	23	18	03	02
7.	19वीं बैठक, 2021	24	23	16	04	03
8.	20वीं बैठक, 2021	23	20	14	04	02
9.	21वीं बैठक, 2021	31	30	18	11	01
10.	22वीं बैठक, 2021	32	27	13	09	05
11.	23वीं बैठक, 2021	32	24	20	01	03
12.	पहली बैठक, 2022	37	33	17	13	03
13.	दूसरी बैठक, 2022	06	05	00	03	02
14.	तीसरी बैठक, 2022	33	28	01	26	01
	<b>कुल 14 बैठकें</b>	<b>368</b>	<b>282</b>	<b>160</b>	<b>92</b>	<b>30</b>

(iii) निरीक्षण प्रभाग


रा.अ.शि.प. अधिनियम, 1993 की धारा 13 में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण का प्रावधान है कि क्या मान्यता प्राप्त संस्थान रा.अ.शि.प. अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। एक टीईआई का निरीक्षण रा.अ.शि.प. नियमों और विजिटिंग टीम मैनुअल के तहत निर्धारित तरीके से किया जाता है। इसके बाद निरीक्षण प्रभाग निरीक्षण रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय समिति को अग्रेषित करता है। इस दौरान रा.अ.शि.प. एक्ट 1993 की धारा 13 के तहत 65 निरीक्षण किए गए।

## (iv) आईटी और ई-गवर्नेंस प्रभाग

आईटी और ई-गवर्नेंस प्रभाग ने प्रतिवेदन अवधि के दौरान कई गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें से अधिकांश गतिविधियां वर्ष के दौरान शुरू की गईं, जिनमें से कुछ के शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। ये गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- रा.अ.शि.प. वेबसाइट का सुधार

रा.अ.शि.प. ने 17 अगस्त, 2021 को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी नई वेबसाइट प्रारंभ की। यह नई वेबसाइट सम्पर्ककारी, संवेदी, सूचनात्मक, सुधारात्मक तथा भारत सरकार के विभिन्न मानकों के अनुरूप है।




- प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रणाली (पी ए आर):

रा.अ.शि.प. द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा टीईआई की जानकारी प्राप्त करने के लिए पी ए आर पोर्टल को सक्रिय बनाया गया है। यह टीईआई के गुणवत्ता मानकों का विश्लेषण करने के लिए एक तंत्र है। सभी मौजूदा टीईआई को 2020-21 के लिए 02 अप्रैल, 2022 तक ऑनलाइन पी ए आर प्रोफार्मा भरना था। पी ए आर प्रोफार्मा को और अधिक प्रासंगिक बनाने, मानव इंटरफेस को कम करने और अवांछित जानकारी को हटाकार और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए। प्रूफ फीचर्स जैसे जियोटैगिंग, जियोफेरेंसिंग, संकाय सदस्यों के पैर की आवृत्ति के मामले में सावधानी आदि। "पी ए आर एनसीटीई" नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था जिसे रा.अ.शि.प के वेबसाइट पर पी ए आर के ऑनलाइन पोर्टल से भी जोड़ा गया है।



• 4 वर्षीय समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)

राष्ट्रीय शिक्षा निति (एनईपी) 2020 के पैरा 15.5 के अनुपालन में बहु-विषयी संस्थानों में संचालित करने हेतु चार वर्षीय समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा निति-2020 के नये स्कूल संरचना के अनुरूप अध्यापकों को बुनियादी, प्रारंभिक, माध्यमिक तथा सेकेन्डरी स्तर पर पढ़ाने हेतु तैयार करना है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अध्यापन व्यवसाय में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं आ सकें। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने से छात्र भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, नैतिकता, आदिवासी परम्पराओं को समझने में समर्थ होगा तथा शिक्षा एवं शिक्षाशास्त्र के नवीनतम ज्ञान को आत्मसात कर सकेगा। इस पाठ्यक्रम से 21 वीं सदी के कौशल की आवश्यकता की पूर्ति होगी।



Ministry of Education

**75 Azadi Ka Amrit Mahotsav**

**Ministry of Education notifies Four Year Integrated Teacher Education Programme**

Posted On: 27 OCT 2021 4:35PM by PIB Delhi

Ministry of Education notifies the Four Year ITEP, a dual-major holistic bachelor's degree offering B.A. B.Ed./ B. Sc. B. Ed. and B.Com. B.Ed. which is one of the major mandates of the National Education Policy 2020 related to Teacher Education. As per the NEP, 2020, teacher engagement from the year 2030 onwards will be only through ITEP. It will be offered in pilot mode initially in about 50 selected multidisciplinary institutions across the country.

National Council for Teacher Education (NCTE) under Ministry of Education has devised the curriculum of this course in such a way that it enables a student-teacher to get a degree in education as well as a specialised discipline such as history, mathematics, science, arts, economics, or commerce. ITEP will not only impart cutting-edge pedagogy, but will also establish a foundation in early childhood care and education (ECCE), foundational literacy and numeracy (FLN), inclusive education, and an understanding of India and its values/ethos/art/traditions, among others. The Year ITEP will be available for all students who choose teaching as a profession after secondary, by choice. This integrated course will benefit students since they will save one year by finishing it in four years rather than the customary five years required by the present B.Ed. plan. The commencement of Four Year ITEP will be from the academic session 2022-23. Admission for the same will be carried out by the National Testing Agency (NTA) through the National Common Entrance Test (NCET). This course will be offered by multidisciplinary institutions and will become as the minimal degree qualification for schoolteachers.

The Four Year ITEP is a milestone achievement in fulfilling one of the major mandates of National Education Policy 2020. The course will contribute substantially to the revitalization of the whole teacher education sector. The prospective teachers passing out of this course through a multidisciplinary environment, grounded in Indian values and traditions will be instilled with the needs of 21<sup>st</sup> century on global standards, and hence will be largely helpful in shaping the future of New India.

\*\*\*\*\*

(v) सतर्कता प्रभाग

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और रा.अ.शि.प के कार्यबल को संवेदनशील बनाने के लिए, रा.अ.शि.प. में सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 021 / वीजीएल / 045 दिनांक 01.09.2021 के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका विषय था "स्वतंत्र भारत / 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता"। अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करने और जागरूकता लाने के उद्देश्य से निबंध लेखन प्रतियोगिता, 'भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में संवेदनशीलता और निवारक सतर्कता उपायों' पर व्याख्यान जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। 26 अक्टूबर, 2021 को रा.अ. शि.प. मुख्यालय में सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का उद्घाटन किया गया।



(vi) विनियमन अनुभाग

- 22 सितंबर, 2019 को इसके उद्गम के बाद पी ए आर को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कई अध्यापक शिक्षा संस्थानों ने डब्ल्यूपी सं. 11304/2019 में माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और याचिका के निपटारे तक अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश के साथ उस पर रोक लगा दी गई। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दिनांक 27 मई, 2021 को रा.अ.शि.प. के उस निर्णय को बरकरार रखते हुए निर्णय सुनाया जिसमें अध्यापक शिक्षा संस्थानों को पीएआर दाखिल करने की आवश्यकता थी। इस निर्णय के मद्देनजर, रा.अ.शि.प. ने 30 सितंबर, 2021 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए रा.अ.शि.प. पोर्टल पर सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा पीएआर को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करने आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी(सी) संख्या 5479/2022 के आदेश के तहत पीएआर दाखिल करने के निर्णय को बरकरार रखा है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों ने पीएआर दायर की है, जो रा.अ.शि.प. को जहां भी आवश्यक हो आगे की कार्रवाई के लिए सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों का विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम करेगा, पीएआर को सक्षम बनाने के लिए पीएआर पोर्टल में कई विशेषताएं जैसे जियोटैगिंग, जियो रेफरेंसिंग, ड्रिफ्टिंग संकाय सदस्यों के मामले में सतर्कता, विभिन्न अनिवार्य वस्तुओं की छवियां, बिना मानव अंतरापृष्ठ के पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना आदि को शामिल किया गया है।
- अध्यापक पात्रता परीक्षा पात्रता प्रमाणपत्र की वैधता अवधि को 2011 से 9 जून, 2021 को पूर्वव्यापी प्रभाव से 7 वर्ष से बढ़ाकर जीवन पर्यन्त किया गया, जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो। अध्यापन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है।

Ministry of Education

**Validity period of Teachers Eligibility Test qualifying certificate extended from 7 years to lifetime - Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank'**

Posted On: 03 JUN 2021 1:41PM by PIB Delhi

Union Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank' announced that Government has decided to extend the validity period of Teachers Eligibility Test qualifying certificate from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011. The respective State Govts. /UTs will take necessary action to revalidate/issue fresh TET certificates to those candidates whose period of 7 years has already elapsed, he added.

Shri Pokhriyal said this will be a positive step in increasing the employment opportunities for candidates aspiring to make a career in the teaching field.

**Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank** @DrRPNishank · Follow

Validity period of Teachers Eligibility Test (TET) qualifying certificate has been extended from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011. [bit.ly/TET-Val](https://bit.ly/TET-Val) (1/2)

Ministry of Education

**Validity period of Teachers Eligibility Test qualifying certificate extended from 7 years to lifetime - Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank'**

Posted On: 03 JUN 2021 1:41PM by PIB Delhi

Union Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank' announced that Government has decided to extend the validity period of Teachers Eligibility Test qualifying certificate from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011. The respective State Govts. /UTs will take necessary action to revalidate/issue fresh TET certificates to those candidates whose period of 7 years has already elapsed, he added.

2:23 PM · Jun 3, 2021

Read the full conversation on Twitter

4.1K Reply Share

Read 514 replies

Teachers Eligibility Test is one of the essential qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in schools. The Guidelines dated 11th February 2011 of the National Council for Teacher Education (NCTE) laid down that TET would be conducted by the State Governments and the validity of the TET Certificate was 7 years from the date of passing TET.


- रा.अ.शि.प. ने 14 अक्टूबर, 2021 को भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचनाओं में “3 वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम. एड.” डिग्री को शामिल किया जो किसी व्यक्ति को एक स्कूल अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता के सम्बन्ध में है। तदनुसार, इसे लागू करने के लिए विनियम 2014 में भी संशोधन किया गया था।
- सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. ने आईटीईपी और एनईपी 2020 के साथ विशेष शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के साथ 21 अक्टूबर, 2021 को एक बैठक आयोजित की है।



- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2021 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग , खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल सं: एनसीटीई-रेगु011 / 80 / 2018 –एमएस(विनियमन)-मुख्या., दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया। इस प्रकार एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के संबंध में मानदंड और मानक निर्धारित करना जो एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री जो बी.ए. बी.एड / बी.एससी. बी.एड. और बी.कॉम, बी.एड से सम्बन्धित है, जैसा कि एनईपी 2020 में अनिवार्य है।
- पीएआर दाखिल करने के लिए ऑनलाइन मोड में एक संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 नवंबर, 2021 को आयोजित किया गया जिसमें देश भर से 588 टीईआई ने भाग लिया।
- सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. ने 25 फरवरी, 2022 को दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित ‘अंतर-मंत्रालयी समिति’ की बैठक में भाग लिया, जिसमें जवाद आबिदी फाउंडेशन द्वारा डिजिटल शिक्षा को दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए दिए गए सुझावों पर गौर किया गया। अध्यापक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सुझावों की सिफारिशों को देखने के लिए सदस्य सचिव रा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया।

**(vii) समन्वय प्रभाग**


- गृह मंत्रालय के परिपत्र 21 मई, 2021 के अनुसरण में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली गई थी।



- विद्याभ्यास विकास केन्द्रम (शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास) के सहयोग से द.क्षे.स. द्वारा 5 जून, 2021 को "विश्व पर्यावरण दिवस" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें कई हितधारक शामिल हुए।



पर्यावरण बचाओ, भविष्य बचाओ



- रा.अ.शि.प. में 21 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2021 मनाया गया। योग के लाभों के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए वेबिनार और योगाभ्यास सत्र जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई।



- रा.अ.शि.प. ने 15 अगस्त, 2021 को द्वारका स्थित कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। सदस्य सचिव द्वारा रा.अ.शि.प. के कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गयी।



- रा.अ.शि.प. द्वारा 17 अगस्त, 2021 को 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर को चिह्नित कराने के लिए रा.अ.शि.प. के इतिहास में पहली बार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 2020-21 में अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये।




- दिनांक 07 सितंबर, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया गया जिसमें रा.अ.शि.प. ने भी आभासी रूप से भाग लिया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यापक शिक्षा संस्थानों ने वस्तुतः भाग लिया। इस सन्दर्भ में द.क्षे.स. द्वारा विद्याभ्यास विकास केन्द्रम, केरल के सहयोग से "एनईपी 2020 के अनुरूप अध्यापक शिक्षा को नया स्वरूप देना" विषय पर, डब्ल्यूआरसी द्वारा भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, गांधीनगर के सहयोग से "एनईपी 2020 से सम्बद्ध 4 वर्षीय आईटीईपी की प्रासंगिकता" विषय पर तथा द.क्षे.स. द्वारा तमिलनाडु अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय, चेन्नई के सहयोग से "युवा सशक्तिरण और कौशल विकास पर एनईपी 2020 के प्रभाव" विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इनमें देश भर के कई हितधारकों ने भाग लिया।
- कोविड-19 महामारी के कारण परिषद् की 53वीं आम सभा की बैठक 10 सितंबर, 2021 को आभासी माध्यम में आयोजित की गई।
- रा.अ.शि.प ने 29 अक्टूबर, 2021 को लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को चिह्नित करने के लिए "राष्ट्रीय एकता दिवस" मनाया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने एकता की शपथ ली।
- रा.अ.शि.प. ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 26 नवंबर, 2021 को 'संविधान दिवस' मनाया। रा.अ.शि.प. के विधि अनुभाग द्वारा "देश के नागरिकों के जीवन में भारत के संविधान का महत्व और भूमिका" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

- लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यस्थल में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने वाली भूमिकाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. द्वारा 07 दिसंबर, 2021 को लैंगिक संवेदीकरण पर एक व्याख्यान दिया गया।



- चारों क्षेत्रीय समितियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह के रूप में "प्रतिष्ठित सप्ताह" के दौरान 17 जनवरी, 2022 के 22 फरवरी, 2022 तक अपने-अपने क्षेत्रों में "भारत की स्वतंत्रता में अध्यापकों की भूमिका" विषय पर वेबिनारों का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के शिक्षाविदों, अध्यापक प्रशिक्षकों, अध्यापकों तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।



- रा.अ.शि.प. ने 26 जनवरी, 2022 को 73 वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया, जिसमें सदस्य सचिव, रा.अ.शि.प. द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया।



- रा.अ.शि.प. द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2022 को 'अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' का आयोजन किया गया इस अवसर पर भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता तथा विविध भाषाओं के सम्वर्धन हेतु जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गये। अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मातृभाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।



- रा.अ.शि.प. ने 8 मार्च, 2022 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाया जिसमें लैंगिक समानता महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार, महिला सशक्तिकरण और लिंग संवेदीकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। डा. सुनील दबास, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त और भारत की राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता रा.अ.शि.प. के अध्यक्ष प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने की।



- दिनांक 31 मार्च, 2022 को रा.अ.शि.प. के उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गये जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है।





(viii) राजभाषा अनुभाग

- रा.अ.शि.प के राजभाषा अनुभाग द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी भाषा: नीतिगत प्रावधान और सुझाव", " हिन्दीभाषा की मनोवैज्ञानिक समस्याएं ", "इंटरनेट पर देवनागरी लिपि के प्रयोग की चुनौतियां" और "सरकारी कार्यालय में काम-काज करने की विधियां तथा तकनीकें " जैसे विभिन्न विषयों पर वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गयी, जिसमें कई हितधारकों ने भाग लिया ।
- हिन्दी पखवाड़ा 14 से 28 सितंबर, 2021 तक मनाया गया जिसमें कई गतिविधियों का आयोजन किया गया । विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ।



- अध्यक्ष, रा.अ.शि.प. ने 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर "राजभाषा पत्रिका (प्रथमांक) 2022" का विमोचन किया।



**(ix) आरटीआई प्रभाग**

- जन सूचना अधिकारी और प्रमुख जन सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए 9 जुलाई, 2021 को आभासी रूप में आरटीआई मामलों पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।
- रा.अ.शि.प. के आरटीआई प्रभाग को आरटीआई पोर्टल पर 3412 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3146 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया और शेष 266 आवेदनों को अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्थानांतरित कर दिया गया।

**(x) प्रशासन अनुभाग**

डीएआरपीजी के अनुरूप "स्वच्छता अभियान" पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें अभिलेखों की पहचान, पृथक्करण और छांटई पर ध्यान केंद्रित किया गया। परिणामस्वरूप, 7900 अभिलेखों को छांट कर अलग कर दिया गया और 1427.5 वर्ग फुट स्थल को सार्थक उपयोग के लिए मुक्त किया गया।






(xi) आगे का मार्ग

- रा.अ.शि.प. में एनईपी 2020 के अनुरूप परिवर्तन हो रहा है। अध्यापकों के समग्र विकास के लिए भारतीय पारंपरिक मूल्य प्रणालियों, 21वीं सदी के कौशल और आईसीटी द्वारा सामर्थित भावी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित पहल की जा रही है – 4 वर्षीय आईटीईपी, 4 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक, 4 वर्षीय कला शिक्षा स्नातक, 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक, 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का प्रचालन (एनपीएसटी) और राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम)।









## अध्याय 3

रा.अ.शि.प. द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र तथा राज्यवार  
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की स्थिति

क्रम संख्या	क्षेत्र	2021-22 के दौरान मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की संख्या	2021-22 के दौरान वापस लिए गए पाठ्यक्रमों की संख्या
1.	पूर्वी क्षेत्र	45	02
2.	पश्चिमी क्षेत्र	34	04
3.	उत्तरी क्षेत्र	32	22
4.	दक्षिणी क्षेत्र	01	962
कुल		112	990

## अध्यापक शिक्षा की अखिल भारतीय कार्यक्रमों की स्थिति

कुल अध्यापक शिक्षा संस्थानों की संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				16614		16333	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	204	0	0	204	11430	11430
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	11139	19	663	10495	690840	652590
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	06	0	0	06	5200	5200
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	18	0	0	18	1000	1000
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	10	0	0	10	550	550
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	106	0	0	106	8350	6100
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	9455	59	153	9361	937660	927990
8.	बी.एड (ओडीएल)	42	0	0	42	24200	24200
9.	बी.एड (अंशकालिन)	11	0	0	11	800	800
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	30	01	0	31	1550	1600
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	772	16	2	786	68470	69470
12.	एम.एड.	1274	08	28	1254	62845	61845
13.	डी.पी.एड.	167	0	01	166	9545	9495
14.	बी.पी.एड.	635	03	06	632	48160	47860
15.	एम.पी.एड.	176	06	01	181	7205	7415
16.	अन्य	211	0	136	75	12033	5463
	<b>कुल</b>	<b>24256</b>	<b>112</b>	<b>990</b>	<b>23378</b>	<b>1889838</b>	<b>1833008</b>

## अध्यापक शिक्षा की क्षेत्र वार स्थिति (पूर्वी क्षेत्रीय समिति)

संस्थानों की कुल संख्या – 1808			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			1769		1808		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	22	0	0	22	1150	1150
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1255	8	0	1263	99435	100085
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	2	0	0	2	1000	1000
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	1	0	0	1	50	50
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	2	0	0	2	150	150
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	1276	33	1	1308	120600	122900
8.	बी.एड (ओडीएल)	7	0	0	7	2800	2800
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	6	0	0	6	300	300
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	31	0	0	31	3100	3100
12.	एम.एड.	83	3	1	85	4150	4250
13.	डी.पी.एड.	6	0	0	6	380	380
14.	बी.पी.एड.	35	1	0	36	3600	3700
15.	एम.पी.एड.	13	0	0	13	560	560
16.	अन्य	2	0	0	2	48	48
	<b>कुल</b>	<b>2741</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>2784</b>	<b>237323</b>	<b>240473</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-अरुणाचल प्रदेश)

संस्थानों की कुल संख्या - 21			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			20		21		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	8	0	0	8	445	445
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	14	0	0	14	1350	1350
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	4	0	0	4	400	400
12.	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2395</b>	<b>2395</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-असम)

संस्थानों की कुल संख्या – 110			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			109		110		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	63	0	0	63	4100	4100
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	70	2	0	72	5600	5700
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	2	0	0	2	100	100
12.	एम.एड.	7	0	0	7	350	350
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	3	0	0	3	300	300
15.	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>146</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>10490</b>	<b>10590</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-बिहार)

संस्थानों की कुल संख्या - 443			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			432		443		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	317	3	0	320	31050	31300
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	2	0	0	2	1000	1000
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	1	0	0	1	100	100
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	348	9	0	357	37600	38500
8.	बी.एड (ओडीएल)	3	0	0	3	1500	1500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	5	0	0	5	500	500
12.	एम.एड.	26	0	0	26	1300	1300
13.	डी.पी.एड.	2	0	0	2	100	100
14.	बी.पी.एड.	3	0	0	3	300	300
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>708</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>73500</b>	<b>74650</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-झारखंड)

संस्थानों की कुल संख्या – 167			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			162		167		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	1	0	0	1	100	100
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	102	1	0	103	8060	8160
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	133	3	0	136	12950	13250
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	3	0	0	3	300	300
12.	एम.एड.	13	2	0	15	650	750
13.	डी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
14.	बी.पी.एड.	4	0	0	4	400	400
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>258</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>22610</b>	<b>23110</b>

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-मणिपुर)

संस्थानों की कुल संख्या - 26			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			25		26		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	11	0	0	11	600	600
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	15	0	0	15	1500	1500
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	1	1	0	2	50	100
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2250</b>	<b>2300</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-मेघालय)

संस्थानों की कुल संख्या - 17			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			17		17		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	11	0	0	11	690	690
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	5	0	0	5	350	350
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	1	0	0	1	50	50
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1090</b>	<b>1090</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-मिजोरम)

संस्थानों की कुल संख्या - 11			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			11		11		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	9	0	0	9	630	630
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	5	0	0	5	400	400
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1130</b>	<b>1130</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-नागालैंड)

संस्थानों की कुल संख्या - 13			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			13		13		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	4	0	0	4	210	210
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	8	0	0	8	650	650
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	1	0	0	1	50	50
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>910</b>	<b>910</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-सिक्किम)

संस्थानों की कुल संख्या - 8			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			8		8		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	4	0	0	4	200	200
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	3	0	0	3	350	350
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-उड़ीसा)

संस्थानों की कुल संख्या – 111			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			103		111		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	9	0	0	9	450	450
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	68	0	0	68	6540	6540
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	1	0	0	1	50	50
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	24	8	0	32	1500	1900
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	100	100
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	4	0	0	4	200	200
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	7	0	0	7	850	850
12.	एम.एड.	3	0	0	3	150	150
13.	डी.पी.एड.	2	0	0	2	130	130
14.	बी.पी.एड.	5	0	0	5	600	600
15.	एम.पी.एड.	2	0	0	2	120	120
16.	अन्य	2	0	0	2	48	48
	<b>कुल</b>	<b>128</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>10738</b>	<b>11138</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-त्रिपुरा)

संस्थानों की कुल संख्या - 14			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			14		14		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	7	0	0	7	730	730
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	8	0	0	8	700	700
8.	बी.एड (ओडीएल)	2	0	0	2	700	700
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
12.	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13.	डी.पी.एड.	1	0	0	1	50	50
14.	बी.पी.एड.	2	0	0	2	200	200
15.	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2570</b>	<b>2570</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-पश्चिम बंगाल)

संस्थानों की कुल संख्या – 866			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			854		866		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	12	0	0	12	600	600
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	651	4	0	655	46180	46480
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	1	0	0	1	50	50
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	643	11	1	653	57300	58250
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	9	0	0	9	900	900
12.	एम.एड.	23	0	1	22	1150	1100
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	16	1	0	17	1600	1700
15.	एम.पी.एड.	9	0	0	9	360	360
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>1365</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1379</b>	<b>108640</b>	<b>109940</b>

## पश्चिमी क्षेत्रीय समिति

संस्थानों की कुल संख्या – 4452			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			4422		4452		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	76	0	0	76	4000	4000
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2983	3	1	2985	161785	161985
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	2	0	0	2	2900	2900
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	18	0	0	18	1000	1000
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	9	0	0	9	500	500
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	13	0	0	13	900	900
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	2431	19	3	2447	239320	240870
8.	बी.एड (ओडीएल)	6	0	0	6	5000	5000
9.	बी.एड (अंशकालिन)	7	0	0	7	550	550
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	17	1	0	18	850	900
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	588	8	0	596	53480	53880
12.	एम.एड.	368	3	0	371	17190	17340
13.	डी.पी.एड.	33	0	0	33	2420	2420
14.	बी.पी.एड.	154	0	0	154	12850	12850
15.	एम.पी.एड.	61	0	0	61	1920	1920
16.	अन्य	4	0	0	4	450	450
	<b>कुल</b>	<b>6770</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>6800</b>	<b>505115</b>	<b>507465</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-महाराष्ट्र)

संस्थानों की कुल संख्या - 1289			31.03.2021 को		31.03.2022 को		
			1289		1289		
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	10	0	0	10	460	460
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1355	0	0	1355	66900	66900
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	457	0	1	456	38150	38050
8.	बी.एड (ओडीएल)	2	0	0	2	3000	3000
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	5	1	0	6	250	300
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	5	0	0	5	250	250
12.	एम.एड.	123	0	0	123	5015	5015
13.	डी.पी.एड.	3	0	0	3	150	150
14.	बी.पी.एड.	67	0	0	67	5600	5600
15.	एम.पी.एड.	31	0	0	31	725	725
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>ज्वजंस</b>	<b>2058</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2058</b>	<b>120500</b>	<b>120450</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-राजस्थान)

संस्थानों की कुल संख्या - 1460				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				1439		1460	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	20	0	0	20	1100	1100
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	413	2	0	415	28050	28250
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	7	0	0	7	550	550
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	980	11	0	991	109370	110470
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	1	0	0	1	50	50
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	3	0	0	3	150	150
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	462	6	0	468	44600	44900
12.	एम.एड.	60	2	0	62	3100	3200
13.	डी.पी.एड.	13	0	0	13	960	960
14.	बी.पी.एड.	35	0	0	35	2350	2350
15.	एम.पी.एड.	11	0	0	11	550	550
16.	अन्य (बी.पी.एड-एम.पी. एड नवीन 3 वर्षीय)	2	0	0	2	350	350
	<b>ज्वजंस</b>	<b>2008</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2029</b>	<b>191680</b>	<b>193180</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-मध्य प्रदेश)

संस्थानों की कुल संख्या - 1073				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				1068		1073	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	16	0	0	16	940	940
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	864	1	0	865	47490	47590
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	6	0	0	6	350	350
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	611	5	2	614	53300	53600
8.	बी.एड (ओडीएल)	2	0	0	2	1000	1000
9.	बी.एड (अंशकालिन)	6	0	0	6	500	500
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	7	0	0	7	350	350
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	108	1	0	109	7730	7780
12.	एम.एड.	76	0	0	76	3625	3625
13.	डी.पी.एड.	2	0	0	2	120	120
14.	बी.पी.एड.	20	0	0	20	2000	2000
15.	एम.पी.एड.	11	0	0	11	315	315
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>1730</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1735</b>	<b>118220</b>	<b>118670</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-गुजरात)

संस्थानों की कुल संख्या - 396				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				394		396	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	30	0	0	30	1500	1500
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	244	0	1	243	12200	12150
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	18	0	0	18	1000	1000
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	9	0	0	9	500	500
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	238	2	0	240	23850	24000
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	10	0	0	10	700	700
12.	एम.एड.	80	1	0	81	4000	4050
13.	डी.पी.एड.	15	0	0	15	1190	1190
14.	बी.पी.एड.	18	0	0	18	1500	1500
15.	एम.पी.एड.	5	0	0	5	250	250
16.	अन्य	2	0	0	2	100	100
	<b>कुल</b>	<b>670</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>672</b>	<b>46840</b>	<b>46990</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-छत्तीसगढ़)

संस्थानों की कुल संख्या - 220				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				218		220	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	99	0	0	99	6750	6750
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	1	0	0	1	2400	2400
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	139	1	0	140	14050	14150
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	3	1	0	4	200	250
12.	एम.एड.	27	0	0	27	1350	1350
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	13	0	0	13	1300	1300
15.	एम.पी.एड.	3	0	0	3	80	80
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>286</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>26630</b>	<b>26780</b>

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-गोवा)

संस्थानों की कुल संख्या - 10				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				10		10	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	6	0	0	6	295	295
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	4	0	0	4	400	400
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>945</b>	<b>945</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-दमन तथा दिव)

संस्थानों की कुल संख्या - 3				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				3		3	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2	0	0	2	100	100
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	1	0	0	1	100	100
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-दादर तथा नगर हवेली)

संस्थानों की कुल संख्या - 1				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				1		1	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	1	0	0	1	100	100
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## उत्तरी क्षेत्रीय समिति

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				6321		6335	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	100	0	0	100	5930	5930
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	3504	8	0	3512	235750	236450
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	2	0	0	2	1300	1300
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	88	0	0	88	4800	4800
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	3704	7	20	3691	387650	386350
8.	बी.एड (ओडीएल)	9	0	0	9	6400	6400
9.	बी.एड (अंशकालिन)	3	0	0	3	150	150
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	7	0	0	7	400	400
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	104	8	0	112	8250	8950
12.	एम.एड.	463	1	2	462	23810	23760
13.	डी.पी.एड.	46	0	0	46	2355	2355
14.	बी.पी.एड.	294	2	0	296	17660	17860
15.	एम.पी.एड.	58	6	0	64	2675	2915
16.	अन्य	7	0	0	7	1650	1650
	<b>कुल</b>	<b>8389</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>8399</b>	<b>698780</b>	<b>699270</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-चण्डीगढ़)

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				14		14	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	2	0	0	2	150	150
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2	0	0	2	150	150
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	5	0	0	5	700	700
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	800	800
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	2	0	0	2	100	100
12.	एम.एड.	1	0	0	1	50	50
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	3	0	0	3	150	150
15.	एम.पी.एड.	2	0	0	2	70	70
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2170</b>	<b>2170</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-दिल्ली)

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				156		155	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	47	0	0	47	2580	2580
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	51	0	0	51	3550	3550
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	1	0	0	1	1200	1200
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	9	0	0	9	450	450
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	64	0	1	63	5960	5860
8.	बी.एड (ओडीएल)	2	0	0	2	3000	3000
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	14	0	0	14	800	800
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	2	0	0	2	150	150
15.	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16.	अन्य	2	0	0	2	300	300
	<b>कुल</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>192</b>	<b>18030</b>	<b>17930</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-हरियाणा)

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				760		779	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	4	0	0	4	200	200
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	380	8	0	388	23300	24000
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	5	0	0	5	250	250
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	550	0	0	550	65950	65950
8.	बी.एड (ओडीएल)	2	0	0	2	750	750
9.	बी.एड (अंशकालिन)	2	0	0	2	100	100
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	2	0	0	2	100	100
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	21	8	0	29	1750	2450
12.	एम.एड.	98	1	0	99	5050	5100
13.	डी.पी.एड.	26	0	0	26	1300	1300
14.	बी.पी.एड.	28	1	0	29	1950	2050
15.	एम.पी.एड.	4	2	0	6	160	240
16.	अन्य	1	0	0	1	250	250
	<b>कुल</b>	<b>1123</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1143</b>	<b>101110</b>	<b>102740</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-हिमाचल प्रदेश)

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				117		114	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	42	0	0	42	3250	3250
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	87	0	3	84	9300	9000
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	450	450
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	1	0	0	1	100	100
12.	एम.एड.	13	0	0	13	600	600
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	6	0	0	6	300	300
15.	एम.पी.एड.	0	1	0	1	0	40
16.	अन्य	1	0	0	1	250	250
	<b>कुल</b>	<b>151</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>149</b>	<b>14250</b>	<b>13990</b>

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य- पंजाब)

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				383		384	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	6	0	0	6	300	300
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	144	0	0	144	8300	8300
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	273	0	0	273	34450	34450
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	400	400
9.	बी.एड (अंशकालिन)	1	0	0	1	50	50
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	3	0	0	3	150	150
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	32	0	0	32	2350	2350
12.	एम.एड.	76	0	0	76	4085	4085
13.	डी.पी.एड.	12	0	0	12	650	650
14.	बी.पी.एड.	32	1	0	33	2100	2200
15.	एम.पी.एड.	17	2	0	19	860	940
16.	अन्य	1	0	0	1	500	500
	<b>कुल</b>	<b>598</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>54195</b>	<b>54375</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-उत्तर प्रदेश)

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				4725		4723	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	37	0	0	37	2450	2450
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2876	0	0	2876	196700	196700
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	1	0	0	1	100	100
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	73	0	0	73	4050	4050
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	2579	7	16	2570	255840	254940
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	2	0	0	2	150	150
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	46	0	0	46	3750	3750
12.	एम.एड.	246	0	2	244	12475	12375
13.	डी.पी.एड.	8	0	0	8	405	405
14.	बी.पी.एड.	216	0	0	216	12660	12660
15.	एम.पी.एड.	31	1	0	32	1395	1435
16.	अन्य	1	0	0	1	100	100
	<b>कुल</b>	<b>6117</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>6107</b>	<b>490575</b>	<b>489615</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-उत्तराखंड)

संस्थानों की कुल संख्या				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				166		166	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	4	0	0	4	250	250
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	9	0	0	9	500	500
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	1	0	0	1	50	50
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	146	0	0	146	15050	15050
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	2	0	0	2	200	200
12.	एम.एड.	15	0	0	15	750	750
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	7	0	0	7	350	350
15.	एम.पी.एड.	3	0	0	3	150	150
16.	अन्य	1	0	0	1	250	250
	<b>कुल</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>18050</b>	<b>18050</b>

## दक्षिणी क्षेत्रीय समिति

संस्थानों की कुल संख्या – 3738				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				4102		3738	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	6	0	0	6	350	350
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	3397	0	662	2735	193870	154070
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	3	0	0	3	250	250
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	2044	0	129	1915	190090	177870
8.	बी.एड (ओडीएल)	20	0	0	20	10000	10000
9.	बी.एड (अंशकालिन)	1	0	0	1	100	100
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	49	0	2	47	3640	3540
12.	एम.एड.	360	1	25	336	17695	16495
13.	डी.पी.एड.	82	0	1	81	4390	4340
14.	बी.पी.एड.	152	0	6	146	14050	13450
15.	एम.पी.एड.	44	0	1	43	2050	2020
16.	अन्य	198	0	136	62	9885	3315
	<b>कुल</b>	<b>6356</b>	<b>1</b>	<b>962</b>	<b>5395</b>	<b>446370</b>	<b>385800</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-आंध्र प्रदेश)

संस्थानों की कुल संख्या - 768				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				976		768	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	1	0	0	1	50	50
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	969	0	629	340	60600	22400
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	2	0	0	2	150	150
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	466	0	44	422	43300	39050
8.	बी.एड (ओडीएल)	4	0	0	4	2000	2000
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	84	0	6	78	4150	3850
13.	डी.पी.एड.	23	0	0	23	1410	1410
14.	बी.पी.एड.	64	0	4	60	6350	5650
15.	एम.पी.एड.	15	0	0	15	730	730
16.	अन्य	73	0	71	2	3280	100
	<b>कुल</b>	<b>1701</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>947</b>	<b>122020</b>	<b>75690</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

संस्थानों की कुल संख्या - 1				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				1		1	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	2	0	0	2	100	100
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
12.	एम.एड.	1	0	0	1	50	50
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-कर्नाटक)

संस्थानों की कुल संख्या - 1030				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				1083		1030	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	1	0	0	1	50	50
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	906	0	20	886	46880	45940
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	370	0	26	344	32370	30220
8.	बी.एड (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	7	0	1	6	390	340
12.	एम.एड.	40	0	3	37	1865	1715
13.	डी.पी.एड.	43	0	1	42	2170	2120
14.	बी.पी.एड.	33	0	2	31	3450	3250
15.	एम.पी.एड.	10	0	0	10	410	410
16.	अन्य	27	0	0	27	1420	1420
	<b>कुल</b>	<b>1438</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>1385</b>	<b>89505</b>	<b>85965</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-केरल)

संस्थानों की कुल संख्या - 349				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				358		349	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	208	0	1	207	12550*	12500*
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	172	0	5	167	12490	12040
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	3	0	0	3	200	200
12.	एम.एड.	39	0	2	37	1875	1775
13.	डी.पी.एड.	1	0	0	1	50	50
14.	बी.पी.एड.	3	0	0	3	300	300
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	24	0	1	23	1235	1185
	<b>कुल</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>441</b>	<b>28700</b>	<b>28050</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-लक्षद्वीप)

संस्थानों की कुल संख्या - 2				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				2		2	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1	0	0	1	50	50
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	1	0	0	1	50	50
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12.	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
13.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14.	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-पुडुचेरी)

संस्थानों की कुल संख्या - 60				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				44		60	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	45	0	13	32	2960	2310
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	28	0	9	19	2570	1770
8.	बी.एड (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	1	0	0	1	100	100
12.	एम.एड.	6	0	2	4	270	170
13.	डी.पी.एड.	1	0	0	1	50	50
14.	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15.	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16.	अन्य	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>5990</b>	<b>4440</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-तमिलनाडु)

संस्थानों की कुल संख्या - 1132				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				1187		1132	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	984	0	9	975	55680	55230
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	733	0	42	691	72030	67860
8.	बी.एड (ओडीएल)	9	0	0	9	4500	4500
9.	बी.एड (अंशकालिन)	1	0	0	1	100	100
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	33	0	1	32	2650	2600
12.	एम.एड.	165	1	11	155	8235	7685
13.	डी.पी.एड.	9	0	0	9	450	450
14.	बी.पी.एड.	28	0	0	28	1650	1650
15.	एम.पी.एड.	14	0	1	13	680	650
16.	अन्य	3	0	0	3	170	170
	<b>कुल</b>	<b>1979</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>1916</b>	<b>146145</b>	<b>140895</b>

## अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति (राज्य-तेलंगाना)

संस्थानों की कुल संख्या - 412				31.03.2021 को		31.03.2022 को	
				451		412	
क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31.03.2021 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2021-22 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31.03.2022 को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31.03.2021 को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या	31.03.2022 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रों की अनुमोदित संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	डीपीएसई (पूर्व-प्राथमिक)	4	0	0	4	250	250
2.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	297	0	3	294	15800	15640
3.	डी.एल.एड. (प्रारंभिक ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6.	बी.एल.एड (प्रारंभिक)	1	0	0	1	100	100
7.	बी.एड. (माध्यमिक)	281	0	12	269	27980	26780
8.	बी.एड (ओडीएल)	6	0	0	6	3000	3000
9.	बी.एड (अंशकालिन)	0	0	0	0	0	0
10.	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11.	बी.ए.बी.एड./बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	4	0	0	4	250	250
12.	एम.एड.	27	0	3	24	1350	1200
13.	डी.पी.एड.	5	0	0	5	260	260
14.	बी.पी.एड.	24	0	0	24	2300	2300
15.	एम.पी.एड.	4	0	0	4	190	190
16.	अन्य	71	0	64	7	3780	440
	<b>कुल</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>642</b>	<b>55260</b>	<b>50410</b>



गुरुगुरुतमो धाम  
**NCTE**

## **National Council for Teacher Education**

Plot No. G-7, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

Tel : +91-11-43152359 • Fax : +91-11-20893270 • [www.ncte.gov.in](http://www.ncte.gov.in)